भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 96

जिसका उत्तर, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

96. श्री गौतम सिगामणि पोनः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री धनुष एम॰ कुमारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 20वां अंक जारी कर दिया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आरबीआई द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए हैं;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 में बैंकों में सबसे अधिक धोखाधड़ी के मामलों की सूचना मिली है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार केवल कुछ बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा प्रणाली में एनपीए में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एफएसआर संबंधी क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): आरबीआई ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 27.12.2019 को एफएसआर का 20वां अंक जारी किया गया था। एफएसआर में वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाया जाता है। यह वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श भी करती है।

सरकार ने वर्ष 2015 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संदिग्ध धोखाधड़ी, जिसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त है, से निपटने तथा व्यापक संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक सुधारों को आरंभ करके और धोखाधड़ीपूर्ण बैंकिंग पद्धति पर लगाम लगाने के लिए 'बड़े मूल्य की बैंक धोखाधड़ियों का समय पर पता लगाने, सूचना देने तथा जांच करने संबंधी संरचना' को जारी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिसम्बर 2019 की अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में ढांचे के अंतर्गत पीएसबी के एनपीए के पुराने स्टॉक सहित धोखाधड़ियों की प्रणालीगत तथा व्यापक जांच का संज्ञान लिया है, जिससे कई वर्षों के दौरान की गई धोखाधड़ियों का पता लगाने में सहायता मिली है।

वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 तक की अवधि के दौरान, धोखाधड़ियों के साथ-साथ आक्रामक उधार दिए गए थे (वर्ष 2009 और 2014 के बीच ऋण में औसत 18% की वृद्धि तथा सकल अग्रिमों का लगभग 0.58% धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि सहित)।

वित्तीय वर्ष 14 के बाद, धोखाधड़ियों के पुराने एनपीए की जांच आरंभ की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 15 से वित्तीय वर्ष 17 के बीच धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त राशि औसतन 0.55% रही। इसके साथ-साथ धोखाधड़ी रोकथाम सुधार भी आरंभ किए गए थे तथा इसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 18 से वित्तीय वर्ष 20 की प्रथम छमाही में धोखाधड़ी घटनाओं में औसतन 0.16% की कमी हुई है।

(ग) और (घ): वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, पीएसबी का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 4.28% था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 11.18% हो गया (दिसंबर 2019 की एफएसआर के अनुसार 93 एससीबी में से 9 का जीएनपीए अनुपात 20% से अधिक था) और एनपीए की पारदर्शी पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.9.2019 को कम होकर 9.08% हो गया है (दिसंबर 2019 की एफएसआर के अनुसार 92 एससीबी में से 4 का जीएनपीए अनुपात 20% से अधिक था)।

धोखाधड़ीपूर्ण बैंकिंग प्रथाओं की रोकथाम हेतु, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) धोखाधड़ी जोखिम की समय पर पहचान करने, उसे नियंत्रित करने तथा इसमें कमी करने और ऋण मंजूरी प्रक्रिया के दौरान सम्यक तत्परता बरतने हेतु केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री के रूप में बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों का ऑनलाइन सर्चेबल डाटाबेस तैयार किया गया है।

(2) पीएसबी में बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों हेतु सरकारी ढांचा;

  (i) धोखाधड़ियों की सूचना आरबीआई को देने के तत्काल बाद इरादतन चूक के लिए जांच शुरू करना;

  (ii) खाते के एनपीए में परिवर्तित होने पर उधारकर्ता के संबंध में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से रिपोर्ट मांगना।

(3) भगौड़े आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की करने, ऐसे अपराधियों की सम्पत्ति को जब्त करने और अपराधियों को किसी सिविल दावे की पैरवी करने के हक से वंचित करने के लिए भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि:

  (i) 50 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति प्राप्त करें और

  (ii) आरबीआई के अनुदेशों एवं अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की फोटो प्रकाशित करने का निर्णय लें और

  (iii) अधिकारियों/कर्मचारियों का आवर्तिक (रोटेशनल) स्थानांतरण सुनिश्चित करें।

(5) पीएसबी के प्रमुखों को भी लुक-आऊट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार दिया गया है।

(6) लेखापरीक्षा मानकों को लागू करने और लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में की है।

(7) व्यापक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से 3.38 लाख अपरिचालनीय कंपनियों के बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है।

*****